तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
18/7/22 नारायण सिंह पहचानकर्ता रवि जोशी	वादी जरिये अधिवक्ता एवं प्रा०-पत्र मिसल नस्ती व दूसरा प्रा०-पत्र वाबत बिड़ों का पेश करने पर पत्रावली सीधे ले नस्ल का पेशी है ली जाकर प्रा०-पत्र पर वादी अधिवक्ता को सुना गया। वादी का कथन है प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहता बल्कि बिड़ों पर स्थगित करने का निवेदन किया गया। अतः वादी का प्रा०-पत्र पत्रावली लेने पर स्वीकार किया जाकर O23 R1 CPC के तहत बिड़ों करने की अनुमति दी जाती है तथा वाद वादी बिड़ों करने पर इसी स्तर पर वाद वादी स्थगित किया जाता है मिसल मिसल अगर लेकर दर्ज रजिस्टर करावें एवं वाद नकमीयत डाखिल दफ्तर हो।
	उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़